

**Title:** Regarding misbehaviour with MP(s), laying of Reports of the Privilege Committee set up by a State Legislative Assembly in the House and subsequent procedure followed in the House.

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) :** अध्यक्ष महोदय, मैं जिस विाय को सदन के सामने उठा रहा हूँ, उसका सीधा संबंध आसंदी से है और मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ। इस विाय में मेरी सरकार से किसी प्रकार की मांग नहीं है। मैं एक घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। 28 अप्रैल 2001 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मेरे साथ, लोक सभा के अन्य तीन सदस्यों, राज्य सभा के सदस्य और छत्तीसगढ़ विधान सभा के नेता प्रतिपक्ष के साथ निर्मम और अमानवीय मार-पीट की गई। मैंने इस मामले का नोटिस एक साल पहले इसी सदन में दिया था जिसे विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया। ठीक इसी प्रकार का विशेषाधिकार हनन का नोटिस प्रतिपक्ष के नेता ने छत्तीसगढ़ विधान सभा में दिया, जिस की एक समिति बनी। उसमें श्री डोमेन्द्र भेंडिया, सभापति और छ: अन्य विधान सभा के माननीय सदस्य थे। 26 जुलाई 2001 को जब यह विाय आया तो 27 जुलाई को माननीय अध्यक्ष महोदय ने कुछ तथ्यों के साथ निर्देश दिए। लोक सभा के एक सदस्य ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया और बाद में अन्य सदस्यों ने भी दिया लेकिन आज तक छत्तीसगढ़ राज्य सरकार उससे अपनी किसी प्रकार की सूचना मुहैया नहीं करा सकी। केन्द्र सरकार मांग नहीं सकती लेकिन यह पूरी तरह सदन के सदस्यों और सदन की पूंजी का सवाल है। राज्य सरकार की विशेषाधिकार समिति बनी और उसने अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। रिपोर्ट का निर्णय कहता है -

"उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में समिति यद्यपि किसी को दोषी पाए जाने पर निरुद्ध करने की भी अनुशंसा कर सकती है किन्तु इस संदेश को देने के उद्देश्य से यह सभा जन-प्रतिनिधियों के साथ विद्वे की भावना से किए गए किसी भी कृत्य को सहन नहीं करेगी। वह यह अनुशंसा करती है कि जिलाधीश श्री अमिताभ जैन एवं तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री मुकेश गुप्ता को सदन में बुला कर उसकी भर्त्सना की जाए एवं उसकी सेवा पुस्तिका में भी इसको अंकित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय, बात यहीं खत्म नहीं होती है। इसे विधान सभा के पटल पर रखा गया और सदन ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद दूसरे दिन छत्तीसगढ़ की विधान सभा में मुख्यमंत्री ने इसे वापस लेने की हिम्मत जुटा ली। यहां सवाल इस बात का नहीं है कि मेरे साथ मार-पीट हुई और मुझे संरक्षण नहीं मिला। मुझे आपसे केवल इस बात का संरक्षण चाहिए कि यहां एक विशेषाधिकार समिति होगी, लेकिन प्रदेश सरकार उसे रिपोर्ट नहीं भेजेगी। अगर कोई रिपोर्ट प्रदेश सरकार के विधायक और सचिवालय के लोग, वहां के अधिकारियों के बयान के साथ स्वीकार कर लेते हैं और दोषी पाए जाते हैं, उसके बावजूद भी यहां की समिति काम नहीं करेगी, निर्णय नहीं देगी तो किसी भी जन-प्रतिनिधि को कैसे अवसर मिलेगा।

मैं एक टिप्पणी पढ़ कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ जो वहां के एडिशनल एसपी का बयान लिया गया था। मेरा यह बयान भी अखबारों में आया कि हम पर पत्थर फेंकने की शुरुआत हुई थी। हमें केवल लाठियों से नहीं मारा गया, पत्थरों से भी मारा गया। एडिशनल एसपी का बयान देखिए जो उन्होंने समिति के सामने दिया।

"पुलिस अधीक्षक श्री विवेकानन्द ने भी समिति के समक्ष पहले तो क्लैक्टेड में निर्मित हो रहे हॉल के पास पत्थर उपलब्ध होने की बात कही किन्तु समिति द्वारा जब उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया कि क्लैक्टेड बैरिकेट्स के दूसरी ओर था, जहां पुलिस थी तब उन्होंने अपने कथन में यह भी जोड़ दिया कि वह स्पट तौर पर कुछ नहीं कह सकते।"

अध्यक्ष महोदय, इससे दो सवाल पैदा होते हैं। मुझे न्याय मिलना चाहिए और विधान सभा में जो रिपोर्ट चाहे किसी भी सदन में रखी जाए, यदि उसे सदस्य स्वीकार कर लें, क्या उसे वापस लिया जा सकता है? इस प्रश्न पर आसंदी को निर्णय करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय:** माननीय पटेल जी, मैंने स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगी थी और वह रिपोर्ट आई भी है। हम वह रिपोर्ट देखना चाहते हैं। हम रिपोर्ट देखेंगे। इस विाय में क्या हो रहा है, मैं बाद में आपको बताऊंगा।

**श्री प्रहलाद सिंह पटेल :** आपकी अनुमति हो तो विधान सभा की यह रिपोर्ट मैं सभा पटल पर रख सकता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय:** वह आप दे सकते हैं।